संख्या–1104/पांच–5–2020,

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
4. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त प्रमुख/मुख्य/चिकित्सा अधीक्षक/अधीक्षिका, जिला महिला/पुरूष/सयुंक्त चिकित्सालय/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग–5 दिनांक : 15 मई, 2020

विषयः अपरिलक्षित लक्षणों वाले कोविड पॉजिटिव रोगियों के लिए स्थापित "एल–1 कोविड केयर इकाईयों (L-1 Covid Care Centre) असिम्पटोमेटिक कोविड पॉजिटिव रोगी उपचार चिकित्सा इकाईयों" में शैय्याओं एवं मानव संसाधनों की संख्या बढ़ाया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक चिकित्सा अनुभाग–5 के शासनादेश संख्या–1027/पांच–5–2020, दिनांक 02.05.2020 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करें जिसके द्वारा प्रदेश में कोविड पॉजिटिव ऐसे रोगी जिनमें कोविड के लक्षण परिलक्षित न हों (Asymptomatic Covid Positive Patients) के लिए "अतिरिक्त एल–1 समकक्ष कोविड केयर इकाई (Additional L1 Attached Covid Care Centre)" स्थापित करने के निर्देश दिए गए थे। कोविड–19 महामारी से उत्पन्न होने वाली किसी भी स्थिति से निपटने के लिए प्रदेश में अतिरिक्त 25,000 शैय्यायुक्त एल–1 कोविड केयर सेन्टर (L1-CCC) की समय रहते योजना तैयार किया जाना है। (जनपदवार बढ़ायी जाने वाली शैय्याओं की सूची संलग्न)।

2– वर्तमान में जनपदों में कोविड–19 से संक्रमित रोगियों की दिन–प्रतिदिन बढ़ती संख्या, जिनमें से अधिकांश में कोविड संक्रमण के लक्षण परिलक्षित (Asymptomatic Covid Positive Patients) नहीं हो रहें हैं। ऐसे अपरिलक्षित कोविड संक्रमित रोगियों की संख्या जनपदों में अकस्मात् बढ़ सकती है। इस लिए यह आवश्यक है कि रोगियों को भर्ती करने के लिए स्थापित किए गए "एल–1 कोविड केयर इकाईयों (L-1 Covid Care Centre) के अलावा अन्य भवनों का चिन्हांकन कर लिया जाए।

3– इन भवनों का चिन्हांकन करते समय यह विशेष ध्यान दिया जाए कि उक्त भवन पूर्णतया निःशुल्क हो। इसके लिए जनपद में स्थित कालेजों के हॉस्टल, नवोदय विद्यालय, महाविद्यालयों के छात्रावास, पॉलीटेक्निक अथवा अन्य किसी सरकारी भवन अथवा ऐसे निजी भवन जो भवन के स्वामी द्वारा निःशुल्क उपलब्ध कराया गया हो, का चिन्हांकन भी किया जा सकता है।

4– यदि चिन्हित किए गए भवनों में शैय्याओं की व्यवस्था न हो तो, इसके लिए जनपद के किसी टेण्ट हाउस से पूर्व में समन्वय स्थापित कर लिया जाए जिससे आकस्मिकता के दृष्टिगत इन भवनों में शैय्याओं की व्यवस्था की जा सके। इन अतिरिक्त एल–1 समकक्ष कोविड केयर चिकित्सा इकाईयों की आवश्यकता पड़ने पर तैनात किए जाने वाले मानव संसाधनों की तैनाती हेतु महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, लखनऊ द्वारा निर्गत पत्र

Pankaj/GO/COME-3

संख्याः–21फ/सं0रो0/2020/4082, दिनांक 08.05.2020 में उल्लिखित शर्तों का अनुपालन किया जाएगा। *यदि पूर्व में चिन्हित भवनों में अतिरिक्त शैय्याएं स्थापित करने की क्षमता हो तो, इसे अधिकतम् सीमा तक प्रयोग किया जा सकता है।* चिन्हित किये जाने वाले भवन में कम से कम 100 शैय्या स्थापित करने की क्षमता हो। यह प्रयास किए जाए कि एक ही परिसर में अधिकाधिक शैय्याओं की व्यवस्था हो सके। उदाहरण के लिए किसी इंजीनियरिंग कालेज का छात्रावास आदि।

5– इन अतिरिक्त एल–1 समकक्ष कोविड केयर चिकित्सा इकाईयों को चिन्हित कर भविष्य में उपयोग के लिए योजना तैयार रखी जाए एवं वर्तमान में इन चिकित्सा इकाईयों का उपयोग न किया जाए। *यदि वर्तमान में चिन्हित एवं क्रियाशील एल–1, एल–1 समकक्ष एवं एल–1 समकक्ष कोविड केयर सेन्टर्स इकाईयाँ जब कभी भविष्य में संतृप्त होने की स्थिति में पहुँच जाएगी तब इन अतिरिक्त भवनों में स्थापित शैय्याओं को क्रियाशील करने का निर्णय मडण्लायुक्त/सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा लिया जा सकता है।*

6– उक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रकोप एवं उसके रोकथाम तथा उपचार के सम्बन्ध में उक्त निर्देशों का अपने–अपने स्तर पर शत–प्रतिशत अनुपालन कराने का कष्ट करें। जनपद स्तर पर किसी वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी द्वारा मुख्य चिकित्साधिकारी/अपर मुख्य चिकित्साधिकारी के साथ इस चिन्हांकित भवन का निरीक्षण कर लिया जाए तथा तद्नुसार चिन्हित अतिरिक्त कोविड केयर चिकित्सा इकाईयों की सूचना तथा इससे सम्बद्ध Active and Passive Quarantine की सूचना संलग्न–प्रारूप पर 05 कार्य दिवसों में ईमेलः covidhospitals@gmail.com एवं datacovidup@gmail.com पर उपलब्ध करा दी जाए।

संलग्नकः यथोक्त।

भवदीय,
15.5.20
(अमित मोहन प्रसाद)
प्रमुख सचिव।

संख्या–1104 (1) /पांच–5–2020, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
2. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
3. महानिदेशक, परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
4. निदेशक, संचारी रोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
6. अधिशासी निदेशक, उ0प्र0 तकनीकी सहयोग इकाई, लखनऊ,
7. गार्ड फाईल।

संलग्नकः यथोक्त।

15.5.2020
15/05/2020

आज्ञा से,
15/05/2020
(वेद प्रकाश राय)
अनु सचिव।

Pankaj/GO/COME-3